

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून संभाग

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, DEHRADUN REGION (शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय)

क्षेत्रीय कार्यालय,सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

वेबसाइट— https://rodehradun.kvs.gov.in / ई—मेल <u>- aokvsroddr@ gmail.com</u> दूरमाश: 0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/2746371 (AO)/QSDI-2749824

फा. 18095 / 2020 / के.वि.एस. / डी.डी.आर. / प्रशा /14891

दिनांक : 09.11.2020

M/s XS Communications Pvt. Ltd., 1st Floor, Opp. Central Methodist Church,

84, Neshvilla Road, Dehradun

विषय : विज्ञापन सूचना— किराये की टैक्सी / कार सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु निविदा सूचना।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्नलिखित विज्ञापन दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' (देहरादून संस्करण) में प्रकाशित करें:-



0

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून-248001

वेबसाइट— https://rodehradun.kvs.gov.in / ई—मेल - ackvsroddr@gmail.com दुरमाश: 0135-2749510/2743192/2746371

निविदा सूचना

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के लिए किराये की टैक्सी/कार उपलब्ध करवाने हेतु निविदा आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा फार्म तथा इससे सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी एवं शर्तें, के.वि.सं. देहरादून संभाग की वेबसाइट "https://rodehradun.kvs.gov.in" पर उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर वांछित निविदा फीस "D.C. KVS, RO, Dehradun" के पक्ष में रू० 100/— मात्र (जो लौटाई नहीं जायेगी) डी.डी. के साथ प्रेषित किया जा सकता है। बिड पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा इस कार्यालय में पहुंचने की अन्तिम तिथि दिनांक <u>01.12.2020, अपराह्न 17:00 बजे</u> से पहले है। व्यक्तिगत रूप में कार्यालय में निविदा जमा/स्वीकार नहीं की जायेगी। निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक <u>02.12.2020, पूर्वाह्न 11:00 बजे</u> खोली जायेगी।

उपायुक्त

यह भी सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक स्वायत संस्था है। अतः इस पर डी.ए.बी.पी. रेट लागू होते हैं। डी.ए.बी.पी. रेट पर 8 प्रतिशत की छूट के साथ बिल दो प्रतियों में तथा दैनिक समाचार का पृष्ठ भुंगतान हेतु प्रस्तुत करें।

भवदीय.

(मीनाक्षी जैन) उपायुक्त

प्रतिलिपि :- संभागीय कार्यालय, के.वि.सं. देहरादून, सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त सूचना एवं निविदा प्रपत्र को इस कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।

उपायुक्त



केन्द्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून संभाग

dated: 09.11.2020

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, DEHRADUN REGION
(शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय)
क्षेत्रीय कार्यालय,सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड)
वेबसाइट—https://rodehradun.kvs.gov.in / ई—मेल <u>- aokvsroddr@ gmail.com</u>
दुरभाश: 0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/2746371 (AO)/QSDI-2749824

F.18095/2020/KVS/DDR/Admn/

NOTICE INVITING TENDER

TENDER FOR PROVIDING RENTAL TAXI/CAR SERVICES TO THE KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, REGIONAL OFFICE, SALAWALA, HATHIBARKALA, DEHRADUN BY REPUTED TAXI SERVICE PROVIDERS

INDEX

SECTIO N	DESCRIPTION	PAGE NUMBERS
1	CHAPTER -1 SCHEDULE OF TENDER PROCESS	2
2	CHAPTER -2 SCOPE OF WORK AND GENERAL INSTRUCTIONS FOR TENDERERS	3
3	CHAPTER -3 ELIGIBILITY CRITERIA	4
4	CHAPTER -4 TERMS AND CONDITIONS	5-7

ANNEXURE

S. NO	NAME	PAGE NO
ANNEXURE- 1	PROFORMA FOR TECHNICAL BID	Page -8
ANNEXURE -2	PROFORMA FOR FINANCIAL BID	Page - 9
ANNEXURE- 3	TENDER ACCEPTANCE LETTER	Page -10

SCHEDULE OF TENDER PROCESS

- a) Sealed quotations are invited on two bid system viz., Technical Bid & Financial Bid for providing rental Taxi/Car services to the Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Salawala, Hathibarkala, Dehradun by reputed taxi service providers for hiring of commercial vehicles (Petrol/Diesel) for official use of the KVS, RO, Dehradun, initially for a period of (01) one year. The Contract can be extended further for two more years, one year at a time subject to mutual consent/agreement on the same terms and conditions and also satisfactory performance.
- b) The Tender document can be downloaded from Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Dehradun website "https://rodehradun.kvs.gov.in". The tender shall be accepted under two bid system. The interested Service Providers are advised to submit Technical & Financial bids in two separate sealed envelopes superscribing as :- (1) "TECHNICAL BID FOR PROVIDING RENTAL TAXI/CAR SERVICES" (2) "FINANCIAL BID FOR PROVIDING RENTAL TAXI/CAR SERVICES". Both sealed envelopes should be kept in a third bigger sealed envelope superscribing as:- "TENDER FOR PROVIDING RENTAL TAXI/CAR SERVICES" and be sent through REGD POST/ SPEED POST only to Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Salawala, Dehradun (Uttarakhand)-248001 upto 01.12.2020 latest by 17.00 hrs. Tenders sent by any other mode will not be accepted. Tender will be opened in the office of the undersigned at 11.00 hrs. on 02.12.2020.
- The firms should deposit an Earnest Money of Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) and Tender Fee of Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) alongwith the quotation through DD in favour of "DC,KVS, RO, Dehradun" payable at Dehradun which shall be refunded in the event of rejection of quotation/ unsuccessful bidders. The earnest money will be forfeited in the event of failure to provide the services. The selected firm has to furnish performance security in the form of Demand Draft for an amount of Rs. 10,000/-. (Rupees Ten Thousand only). In the event of acceptance of the quotation, the earnest money will be adjusted towards performance security.

Note:- If any of above documents are not found proper or not received within the prescribed time limit, then the bidder will be treated unresponsive.

SCOPE OF WORK AND GENERAL INSTRUCTIONS FOR TENDERERS

- 1. Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Dehradun requires the services of reputed well established and financially sound taxi service providers (hereinafter referred to as "Service Providers") to provide rental Petrol/Diesel commercial Taxi/Car services for Uttarakhand.
- 2. The contract shall be initially for a period of (01) one year from the date of awarding the contract. However, the contract may be extended subsequently, on mutual consent, for a further period of one year at a time (up to a maximum of two extensions of one year each) as may be decided by the competent authority, after review of performance.
- 3. The interested service providers have to submit the tenders through Speed Post/Registered Post as per required packet/cover contents.
- 4. The firms should deposit an Earnest Money of Rs. 5000/- (Rupees Five thousand only) and Tender Fee of Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) alongwith the quotation through DD in favour of "DC,KVS, RO, Dehradun" payable at Dehradun which shall be refunded in the event of rejection of quotation/ unsuccessful bidders. Bids shall not be considered in case the earnest money is not submitted. The earnest money will be forfeited in the event of failure to provide the services.
- 5. The successful bidder will have to deposit performance security in the form of Demand Draft for an amount of **Rs. 10,000/-. (Rupees Ten Thousand only).** In the event of acceptance of the quotation. The earnest money will be adjusted towards performance security.
- 6. Conditional bids shall not be considered and will be rejected summarily.
- 7. All entries in the tender form should be legible and filled clearly. If the space provided for furnishing information is insufficient, a separate sheet duly signed by the authorized signatory may be enclosed. No correction either in the Technical Bids or Financial Bids is permitted. In no case should there be any change in the format of the Financial Bid.
- 8. The bidding firm has to give a self-certificate to the effect that it has not been blacklisted by any Central Ministry/Department/State Govt. Department, PSUs or Banks etc. The certificate has to be enclosed alongwith the tender documents. If it is subsequently established or found that the bidding firm has given any false information or facts or has suppressed facts or manipulated the documents, etc. the Earnest Money Deposit or the performance security deposit, as the case may be, will be forfeited and no excuse what so ever will be entertained therefore.
- 9. No bidding firm will be allowed to withdraw its bids after receiving the bid at KVS, RO, Dehradun. If any firm intends to withdraw after receiving the bids, its EMD will be forfeited.
- 10. If after award of the contract, the successful bidder (LI) fails to provide required vehicles/taxies, the contract is liable to be cancelled alongwith forfeiture of Performance Security deposit and other consequential actions such as blacklisting of the firm etc.
- 11. In case the rates quoted by two or more firms found equal in that case the firm having higher average turnover during the last three preceding financial years will be termed as qualified firm subject to other terms & conditions.

ELIGIBILITY CRITERIA

- 1. The firm must have average annual turnover of at least Rs. 10,00,000/- [Rupees Ten Lakhs Only] per annum during the last 3 years, ending 31st March of the previous financial year (2019-2020). CA Certificate and Balance Sheet must be enclosed with the Technical Bid.
- 2. The Firm must have at least 3 years of experience in the Tour and travels Business in providing vehicle/taxi in the Government/Semi Govt/Autonomous Bodies etc.
- 3. The Firm should have at least 3 vehicles of the type required commercial vehicles i.e. Maruti Suzuki Ciaz, Dezire, Amaze, Honda City, Hyundai Verna or its equivalent/ Innova, XUV-500, Scorpio, Tata Hexa or its equivalent registered in the name of the firm or in the name of the owner of the firm in 2017 or thereafter, failing which offer will be rejected. The copies of the RCs of the vehicles registered are to be enclosed with the Technical Bid.
- 4. Experience certificates, award letters, fitness certificate and performance certificate should be enclosed with the Technical Bid.
- 5. The Firm should also have (i) GST No. and (ii) PAN No. Copies of GST No. and PAN No. are to be enclosed with the Technical Bid.
- 6. An undertaking from the bidder firm on its letter head stating that the firm has not been blacklisted by any Central Government Department/Ministry/PSU/Bank, or State Government etc. must be attached with the bid documents.

TERMS AND CONDITIONS

- 1. Definition of Similar work: The words "Similar work" shall mean the experience in providing commercial vehicles to Govt. Departments/Public Sector Undertakings.
- 2. Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Dehradun requires Taxi/Car services. The vehicles required are Maruti Suzuki Ciaz, Dezire, Amaze, Honda City, Hyundai Verna or its equivalent/ Innova, XUV-500, Scorpio, Tata Hexa or its equivalent. The type/make of vehicle to be hired will be at the sole discretion of the KVS, RO, Dehradun but it must not be registered prior to 2017.
- 3. The contracting firm will be solely responsible for strict compliance of all the Rules and Regulations notified by Govt. from time to time for plying of commercial vehicles.
- 4. There will be no dead mileage. The kilometer age for the purpose of vehicle run" and "hours of duty" shall be reckoned from the point of reporting for duty to the point of vehicle released. No mileage will be allowed to drivers for lunch / breakfast or for drawal of petrol/Diesel etc.
- 5. The vehicles should be in very good as well as perfect working condition and are well maintained during the contract period. **None of the vehicles supplied should be registered prior** to 2017. **Technical** Bids must accompany with copies of RCs of commercial vehicles of required class only.
- 6. The firms should have at least 3 years of experience in the tour and travel business in providing commercial vehicle in the Government Sector/PSUs and should have an annual turnover of **Rs. 10 Lakhs or more for the last three years.** Experience, fitness and performance certificate should be enclosed along-with the tender documents.
- 7. The firm should possess at least **3** commercial vehicles of the type indicated at above i.e. Maruti Suzuki Ciaz, Dezire, Amaze, Honda City, Hyundai Verna or its equivalent/ Innova, XUV-500, Scorpio, Tata Hexa or its equivalent registered in 2017 or thereafter, which may be registered in the name of the Firm or in the name of owner of the firm.
- 8. The vehicles supplied should be in excellent condition mechanically as well as get-up wise, i.e. outer body/upholstery etc. should be decent looking.
- 9. The owner/Firm should be in a position to supply commercial vehicles on short notice as and when needed.
- 10. The drivers of the taxis should be professional drivers and should be fully conversant with the routes of Uttarakhand especially and should possess valid driving license to drive the commercial vehicles in their names. The drivers will always be decently dressed in uniform and courteous. The Drivers must be proficient in speaking local languages, well mannered, courteous with proven integrity, healthy personal habits and should always carry a mobile phone with them. Drivers not found upto the mark as per above condition or in the event of misbehavior on the part of drivers, the KVS, RO, Dehradun may impose penalty as deemed fit on the firm.
- 11. The owner/firm should be in a position to provide standby vehicle in case of any breakdown.
- 12. All expenses will have to be borne by the firm in case of breakdown of the vehicle supplied. Immediate replacement of the broken down vehicle will have to be provided.

- 13. In case a vehicle is requisitioned and the same does not reach at the appointed time and juncture, the KVS, RO, Dehradun will be free to call another vehicle from the open market and the expenses on this account will be deducted from the pending Bills/ Security etc. Besides, a penalty of Rs. 500/- would be imposed for every such lapse.
- 14. The owner/firm should be available round the clock on his own direct telephone, so as to respond to the call for taxies in emergent cases. The Mobile Number must also be given. The firm should be able to provide vehicles on holidays/Sundays also.
- 15. All the charges towards repair/servicing, salary of the Driver, Petrol/Diesel expenses, any other incidental expenses on operations & maintenance of the hired car would be borne by the firm.
- 16. The car would be insured in all respects by the firm. In case of any accident or theft etc. all the claims arising out of it will be met by the Agency and the KVS, RO, Dehradun shall not be liable in any matter whatsoever.
- 17. The taxi with the Driver would be placed at the disposal of the KVS, RO, Dehradun as and when required. The KVS, RO, Dehradun would be free to use the hired taxi in any manner for carrying officials, material etc. as per its requirements and the firm will not have any objection to it.
- 18. Jurisdiction for legal disputes, if any arising during the currency of the contract, will be settled in Dehradun only.
- 19. Tenderers may please submit their unconditional rates strictly in the proforma.
- 20. No advance payment, in any case, would be made to the firm.
- 21. The firm will obtain the duty slips every day duly signed by the officer or will maintain the log book daily, duly signed by the officers concerned.
- 22. The Bills for hiring of taxis would be submitted after the completion of the month. Bills for supply of commercial vehicles for any month along with signed duty slips and copies of the log book signed by the officers shall be submitted in the first week of the following month to KVS, RO, Dehradun.
- 23. The firm will ensure that vehicles and the drivers are not normally changed. Frequent changes of vehicles and drivers will not be permitted.
- 24. The KVS, RO, Dehradun will not be responsible for any challan, loss, damage or accident to the vehicle or to any other vehicle or injury.
- 25. In case of delay in reporting a penalty of Rs.50/- per 15 minutes delay shall be imposed.
- 26. A penalty of Rs. 500/- per day per vehicle may be levied if any vehicle fails to meet the above terms and conditions on any day. Taxis supplied by the firm will be regularly inspected by nominated Officers for the purpose and in case of non-compliance of any of the conditions, if brought to the notice by the users or the inspecting Officer, a penalty of Rs.500/- on each fault will be imposed.
- 27. The EMD will stand forfeited if the successful bidder withdraws or on notifying the rates, refuses to accept the tender or violate any other terms & conditions of the tender.

- 28. The KVS, RO, Dehradun reserves the right to cancel the contract at any time without assigning any reasons whatsoever.
- 29. Bills for supply of vehicle for a month alongwith certificate of the no. of hours and the mileage (kms. run during the month by the officials). The bill will be submitted by first week of the following month to the Deputy Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Dehradun.
- 30. An undertaking from the bidder firm on its letter head stating that the firm has not been blacklisted by any Central Government Department/Ministry/State Govt. Department/PSU/Bank, or State Government etc. must be attached with the bid documents.
- 31. The driver provided by the agency should not have criminal case against him. In this connection documentary evidence such as police verification etc. should be produced.
- 32. The TDS under Income Tax Act and Goods and Services Tax Act will be deducted as per rules.
- 33. Toll charges and parking charges will be paid by the Firm which will be reimbursed by KVS, RO, Dehradun subject to production of necessary bills and vouchers alongwith the monthly bill.
- 34. It will be sole responsibility of the vendor to send the vehicles for duty with enough fuel.

Note:- If there is any dispute or discrepancy for any reason, the English version will be valid.

ANNEXURE -1

PROFORMA FOR TECHNICAL BID

Sl. No	Description	Information/Documents required
1.	Name of the Firm/ Company/Agency	
2.	Complete Address & Telephone Number	
3.	Location of the Garage with telephone No. and address	
4.	EMD of Rs. 5000/- and Tender Fee of Rs. 100/- (Mention DD No., Date & amount etc.)	
5.	Annual turnover of the firm for last 03 years (with proof) in the form of Balance Sheet and CA's certificate.	Copies of Balance Sheet and CA certificate for last 3 years to be enclosed.
6.	The firm must have at least 03 years of experience in the Tour and travels Business in providing vehicle/taxi in the Government/Semi Govt. Sections/ Autonomous Bodies	Copies of experience certificates and award letters is to be Enclosed.
7.	The firm must have at least 3 vehicle of the respective type (Petrol/Diesel) i.e. Maruti Suzuki Ciaz, Dezire, Amaze, Honda City, Hyundai Verna or its equivalent/ Innova, XUV-500, Scorpio, Tata Hexa or its equivalent registered not prior to 2017.	Copies of RCs are to be enclosed for which the firm wants to apply.
8.	Name & Address of the Departments / Ministries and other organizations where, at present, taxies are engaged on regular/monthly basis.	Enclosed the self-certified duly stamped copies of contract letters.
9.	Copy of GST No. and PAN No. (with proof)	Enclosed copies of GST Registration Certificate and PAN Card.
10.	Name, Address & Telephone Number of the Proprietor	
11.	Self-Certificate declaring that the firm has not been black listed by any Central Ministry/Department/State Govt. Department, PSUs or Banks etc. (Para 12 of Scope of work)	Enclosed an undertaking from the bidder firm on its letter head.

(Signature of the Bidder, with Official Seal)

ANNEXURE -2

PROFORMA FOR FINANCIAL BID FOR HIRING VEHICLE FOR LOCAL AND OUTSTATION

S. No.	Particulars of Vehicle	Rates for journey for 4 hrs/40 kms (Excluding GST) – Rs.				journey for 8 hi cluding GST) –		For outstation Trips per day covering min. 225 km (Excluding GST) – Rs.			
		Rate	Rate for Extra Km	Rate for Extra Hours	Rate	Rate for Extra Km	Rate for Extra Hours	Rate per Km.	Night Halt per day	Extra amount per km beyond 225 kms	
1.	Staff Vehicle (Maruti Suzuki Ciaz , Dezire, Amaze, Honda City, Hyundai Verna or its equivalent)										
2.	Mid-sized vehicle (Innova, XUV-500, Scorpio, Tata Hexa or its equivalent)										

Note : 1. GST % age shall be quoted so	eparately here				
I/We agree to provide the above	service and to abide by the term	ns & conditions containe	ed in the Bid docum	nent. Bid Security of Rs.	. 5000/- (Rupees Five
Thousand only) is furnished herewith vi	de Bank Draft No	dated	·		
Dated :				(Signature of the Bidder,	, with Official Seal)

ANNEXURE -3

TENDER ACCEPTANCE LETTER

Date	:			٠.	• • •	· • •							•
------	----------	--	--	----	-------	-------	--	--	--	--	--	--	---

To

The Deputy Commissioner Kendriya Vidyalaya Sangathan Regional Office, Salawala, Hathibarkala, Dehradun-248001

Sub: Acceptance of Terms & Conditions of Tender for providing rental taxi services to the Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Salawala, Hathibarkala, Dehradun.

Dear Sir,

- 1. I/We have downloaded/ I obtained the tender document(s) for the above mentioned 'Tender/Work' from Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Dehradun website "https://rodehradun.kvs.gov.in" as per your advertisement, given in the above mentioned website(s).
- 2. I/We hereby certify that I/we have read the entire terms and conditions of the tender documents form (including all documents like annexure(s), schedule(s), etc.,) which form part of the contract agreement and I/we shall abide hereby by the terms/conditions/clauses contained therein.
- 3. The corrigendum(s) issued from time to time by your department/organization too have all been taken into consideration, while submitting this acceptance letter.
- 4. I/We hereby unconditionally accept the tender conditions of above mentioned tender document(s) in it's totality/entirety.
- 5. In case any provisions of this tender are found violated, then your department/ organization shall without prejudice to any other right or remedy be at liberty to reject this tender/bid including the forfeiture of the full said earnest money deposit absolutely.

Yours faithfully, (Signature of the Bidder, with Official Seal)



केन्द्रीय विद्यालय संगठन, देहरादून संभाग

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN, DEHRADU N REGION (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय) क्षेत्रीय कार्यालय,सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून (उत्तराखण्ड)

वेबसाइट— https://rodehradun.kvs.gov.in / ई—मेल <u>- aokvsroddr@ gmail.com</u> दूरभाश: 0135-2749510 (DC)/2743192 (AC)/2746371 (AO)/QSDI-2749824

फ. 18095/2020/के.वि.सं/डी.डी.आर./प्रशा.

दिनांक: 09.11.2020

निविदा आमंत्रण

केंद्रीय विद्यालय संगठन,क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला, हाथीबड़कला, देहरादून के लिए प्रतिष्ठित टैक्सी सेवा प्रदाताओं द्वारा किराये की टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने हेत् निविदा

सूची

अनुभाग	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय -1 निविदा प्रक्रिया की अनुसूची	2
2.	अध्याय -2 निविदाकारों के लिए कार्य का दायरा और सामान्य निर्देश	3
3.	अध्याय -3 पात्रता मानदंड	4
4.	अध्याय -4 नियम और शर्तें	5-7

अन्लग्नक

क्रम संख्या	नाम	पृष्ठ संख्या
अनुलग्नक-1	तकनीकी बोली के लिए प्रोफार्मा	8
अनुलग्नक-2	वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा	9
अनुलग्नक-3	निविदा स्वीकृति पत्र	10

अध्याय – 1

निविदा प्रक्रिया का कार्यक्रम

- a) सीलबंद निविदाओं के माध्यम से दो बोली प्रणाली के अंतर्गत निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। केविसं क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून में आधिकारिक उपयोग के लिए वाणिज्यिक वाहन (पेट्रोल/डीजल) उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिष्ठित टैक्सी सेवा प्रदाताओं द्वारा किराये की टेक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली आमंत्रित की जाती है | यह निविदा एक वर्ष की अविध (01) के लिए अनुबंध के आधार पर आमंत्रित की जाती है | इस अनुबंध को आगे दो और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में यह अनुबंध एक वर्ष के लिए समान नियम और शर्तों पर आपसी सहमति / समझौते के अधीन और संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर बढाया जाएगा |
- b) निविदा दस्तावेज केंद्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की वेबसाइट "http:/rodehradun.kvs.gov.in" से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा दो बोली प्रणाली के तहत स्वीकार किये जायेंगे। इच्छुक सेवा प्रदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफों में तकनीकी और वित्तीय बोलियां प्रस्तुत करें (1) "किराये की टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए तकनीकी बोली" (2) "किराये की टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय बोली"। दोनों सीलबंद लिफाफों को तीसरे बड़े सीलबंद लिफाफे में रखा जाना चाहिए | तीसरे सीलबंद लिफ़ाफ़े पर स्पष्ट शब्दों में "किराये की टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए | यह निविदाएँ केवल पंजीकृत पोस्ट / स्पीड पोस्ट के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला, देहरादून (उत्तराखंड) 248001 को दिनांक 01.12.2020 अपराहन 17:00 बजे तक मिल जानी चाहिएं | किसी अन्य माध्यम से भेजी गयी निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह निविदाएँ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 02.12.2020 को प्रात:11:00 बजे खोली जायेंगी।
- c) फर्मों को अग्रिम धनराशि के रूप में रू० 5000 / (रुपये पांच हजार मात्र) और निविदा शुल्क के रूप में रू० 100 /- (रुपये एक सौ मात्र) जमा करना होगा | यह अग्रिम धनराशि "उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून " (DC,KVS,RO, Dehradun payable at Dehradun) के पक्ष में डीडी के माध्यम से जमा करवाई जायेगी | यह धनराशि निविदाओं का चयन ना होने/अस्वीकार होने की स्थिति में फर्म को वापिस लौटा दी जायेगी | चयनित फर्म को रू० 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की राशि डिमांड ड्राफ्ट, निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में जमा करनी होगी | निविदा की स्वीकृति की स्थिति में, अग्रिम धनराशि (earnest money) को निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) में समायोजित किया जाएगा।

नोटः यदि उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी उचित रूप में नहीं पाया जाता है या निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होता है, तो बोलीदाता को अमान्य माना जाएगा।

अध्याय – 2

कार्य का दायरा और निविदाकर्ताओं के लिए सामान्य निर्देश

- 1. केन्द्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, उत्तराखंड को किराया आधार पर पेट्रोल / डीजल, वाणिज्यिक टैक्सी / कार सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित, सुस्थापित और वित्तीय रूप से सशक्त टैक्सी सेवा प्रदाताओं (आगे से सेवा प्रदाताओं के रूप में संदर्भित) की सेवाओं की आवश्यकता है।
- 2. अनुबंध (01) एक वर्ष के लिए प्रदान किया जायेगा जोकि अनुबंध देने की तिथि से प्रारंभ होगा। हालांकि, अनुबंध को प्रदर्शन की समीक्षा के बाद, एक बार में एक वर्ष की अविध (एक-एक वर्ष के अधिकतम दो विस्तारों तक) के लिए आपसी सहमित पर, सक्षम प्राधिकारी की अनुमित से अनुबंध को स्पष्ट रूप से बढ़ाया जा सकता है।
- 3. इच्छुक सेवा प्रदाताओं को स्पीड पोस्ट / पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से आवश्यक पैकेट / कवर सामग्री के अनुसार निविदाएं प्रस्तुत करनी होंगी |
- 4. फर्मों को अग्रिम धनराशि के रूप में रू० 5000 / (रुपये पांच हजार मात्र) और निविदा शुल्क के रूप में रू० 100 /- (रुपये एक सौ मात्र) डी.डी. के माध्यम से "उपायुक्त , के.वि.सं.,क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून" (D.C. K.V.S. R.O. Dehradun payable at Dehradun) के पक्ष में जमा करवाने होंगे | यह धनराशि निविदा स्वीकार ना किये जाने की स्थिति में वापस कर दी जायेगी | यदि अग्रिम धनराशि जमा नहीं करवाई गयी है, तो निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। सेवाओं को प्रदान ना करने की स्थिति में जमा करवाई गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 5. सफल निविदाकर्ता को रू० 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) की धनराशि का डिमांड ड्राफ्ट, निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) के रूप में जमा करनी होगी | निविदा की स्वीकृति की स्थिति में, अग्रिम धनराशि (earnest money) को निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) में समायोजित किया जाएगा।
- 6. सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें पूरे तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- 7. निविदा प्रपत्र में सभी प्रविष्टियाँ सुपाठ्य और स्पष्ट रूप से भरी जानी चाहिए। यदि सूचना प्रविष्ट करने के लिए स्थान अपर्याप्त है, तो अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित एक और शीट विधिवत संलग्न की जा सकती है। तकनीकी बोलियों अथवा वित्तीय बोलियों में से किसी में भी परिवर्तन करने की अनुमित नहीं है। किसी भी स्थित में वित्तीय बोली के प्रारूप में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिए।
- 8. बोली लगाने वाली फर्म को इस आशय का एक स्व प्रमाण पत्र देना होगा कि उसे किसी केन्द्रीय मंत्रालय / राज्य सरकार/ विभाग , सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या बैंकों आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट (प्रतिबाधित) नहीं किया गया है | इस प्रमाण पत्र को निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है | यदि बाद में यह पाया जाता है कि बोली लगाने वाली फर्म ने किसी प्रकार की झूठी जानकारी अथवा तथ्य दिए हैं या तथ्यों की सही जानकारी नहीं दी है अथवा दस्तावेजों में हेराफेरी की है तो अग्रिम धनराशि (earnest money) अथवा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जब्त कर ली जायेगी तथा इस विषय में किसी भी दिए गए कारण को स्वीकार नहीं किया जाएगा |
- 9. किसी भी बोली लगाने वाली फर्म को केविसं , क्षेत्रीय कार्यालय , देहरादून में निविदा प्राप्त करने के बाद अपनी बोली वापस लेने की अनुमित नहीं होगी | यदि कोई फर्म निविदा प्रदान किये जाने के बाद अपनी बोली को वापिस लेने का निश्चय करती है तो उसके द्वारा जमा की गयी अग्रिम धनराशि (ई.एम्.डी.) जब्त कर ली जायेगी |
- 10. अनुबंध प्रदान किये जाने के उपरांत , यदि सफल निविदाकर्ता आवश्यक वाहन सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहता है तो अनुबंध को रद्द कर दिया जाएगा तथा साथ ही अग्रिम धनराशि (earnest money)/ निष्पादन प्रतिभूति (Performance Security) को जब्त करने के अलावा फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा |
- 11. उस स्थिति में, जहाँ दो अथवा दो से अधिक फर्मों द्वारा निविदा में दी गयी दरें समान पाए जाते हैं तो पिछले तीन वितीय वर्षों के दौरान उच्च औसत टर्नओवर वाली फर्म को निविदा के अन्य नियम और शर्तों के साथ निविदा के लिए योग्य माना जाएगा |

अध्याय - 3

पात्रता मापदंड

- 1. फर्म के पास पिछले 3 वर्षों के दौरान रु0 10,00,000/- (रुपए दस लाख मात्र) प्रतिवर्ष का औसत वार्षिक कारोबार (टर्नओवर) होना चाहिए, इसकी गणना पिछले वित्तीय वर्ष (2019-20) के 31 मार्च को समाप्त हुए वर्ष के आधार पर की जायेगी | तकनीकी बोली के साथ चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र और बैलेंस शीट को संलग्न किया जाना चाहिए।
- 2. फर्म के पास सरकारी / अर्ध सरकारी / स्वायत्त निकायों आदि में वाहन / टैक्सी प्रदान करने के व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- 3. फर्म के पास कम से कम 3 वाहन होने चाहिए | आवश्यक प्रकार के वाणिज्यिक वाहन जैसे मारुति सुज़ुकी सियाज़, डिजायर, एमेज, होंडा सिटी, ह्युंडई वर्ना या इसके समकक्ष / इनोवा , एक्सयूवी-500, स्कॉर्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समतुल्य जो कि फर्म के नाम पर अथवा फर्म के मालिक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए | यह पंजीकरण 2017 अथवा उसके बाद में होना चाहिए | ऐसा ना होने पर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा | पंजीकृत वाहनों के आरसी की प्रतियां तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिएँ |
- 4. अनुभव प्रमाण पत्र, आपूर्ति पत्र फिटनेस प्रमाण पत्र और प्रदर्शन प्रमाण पत्र को तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- 5. फर्म के पास (1) जीएसटी नंबर और (1) पैन नंबर भी होना चाहिए | जीएसटी नंबर और पैन नंबर की प्रतियां भी तकनीकी बोली के साथ संलग्न की जानी चाहिए।
- 6. बोली लगाने वाले फर्म द्वारा अपने लेटर हेड से एक शपथ –पत्र जो यह घोषणा करता हो कि फर्म को किसी भी केंद्रीय सरकारी विभाग / मंत्रालय / पीएसयू बैंक, या राज्य सरकार आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, को बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

अध्याय - 4

नियम और शर्तें

- 1. इसी तरह के कार्य की परिभाषा: शब्द "समान काम" अथवा "इसी तरह के कार्य" सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को वाणिज्यिक वाहन प्रदान करने में अनुभव को परिभाषित करेगा |
- 2. केन्द्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को टैक्सी / कार सेवाओं की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए जिन वाहन की आवश्यकता हैं वे हैं मारुति सुज़ुकी सियाज़, डिजायर, अमेज़, हौंडा सिटी, ह्युंडई वर्ना या इसके समकक्ष / इनोवा, एक्सयूवी -500, स्कॉर्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समकक्ष। वाहन को किराए पर दिए जाने वाहन का प्रकार/मेक का चयन, केविसं क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के विवेकाधिकार पर होगा | यह वाहन 2017 से पहले पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
- 3. सरकार द्वारा वाहनों के लिए समय –समय पर अधिसूचित सभी नियमों और विनियमों के कड़ाई से पालन के लिए अनुबंधित फर्म पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।
- 4. अनुबंधित वाहन के लिए कोई भी डेड माइलेज नहीं होगा। वाहन चलाने और ड्यूटी के घंटे के उद्देश्य के लिए किलोमीटर की गणना हेतु वाहन के प्रारम्भिक बिंदु पर ड्यूटी के लिए रिपोर्टिंग के बिंदु से माना जाएगा। लंच / ब्रेकफास्ट के लिए या पेट्रोल / डीजल आदि भरवाने के लिए कोई माइलेज नहीं दिया जाएगा।
- 5. वाहन बहुत अच्छे होने के साथ-साथ उत्तम कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए और अनुबंध अविध के दौरान इसका रखरखाव अच्छी तरह से किया जाना चाहिए। आपूर्ति किये गए वाहनों में से कोई भी 2017 से पहले पंजीकृत नहीं होना चाहिए। तकनीकी बोली केवल आवश्यक वर्ग के वाणिज्यिक वाहनों की आरसी की प्रतियों के साथ संलग्न होनी चाहिए।
- 6. फर्मों को सरकारी क्षेत्र / पीएसयू में वाणिज्यिक वाहन प्रदान करने के व्यवसाय में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इसका वार्षिक कारोबार पिछले तीन वर्षों में 10 लाख या उससे अधिक होना चाहिए | निविदा दस्तावेजों के साथ अनुभव, फिटनेस और प्रदर्शन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।
- 7. फर्म के पास मारुती सियाज़, डिजायर, अमेज, हौंडा सिटी, हुंडई वेरना अथवा इसके समकक्ष / इनोवा, एक्सयूवी -500, स्कार्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समतुल्य वाहन होने चाहिए | ये वाहन 2017 या इसके बाद पंजीकृत होने चाहिए | पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या कम से कम 3 होनी चाहिए। ये वाहन फर्म या फर्म के मालिक के नाम पर पंजीकृत होने चाहिए।
- 8. आपूर्ति किए गए वाहन उत्कृष्ट स्थिति में यंत्रवत् होने के साथ-साथ दिखावट में भी अच्छे होने चाहिएं | अर्थात बाहरी बनावट/अन्य सामग्री इत्यादि अच्छी दिखावट के साथ होने चाहिए |
- 9. मालिक / फर्म कम से कम समय के नोटिस पर वाणिज्यिक वाहनों की आपूर्ति करने की स्थिति में होना चाहिए।
- 10. वाहन के ड्राइवर, पेशेवर ड्राइवर होना चाहिए और विशेष रूप से उत्तराखंड के मार्गों के साथ पूरी तरह से परिचित एवं निपुण होना चाहिए | ड्राइवर के नाम पर वाणिज्यिक वाहनों को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ड्राइवर हमेशा शालीन और औपचारिक कपड़ों में होने चाहिए | ड्राइवरों को स्थानीय भाषाओं को बोलने में निपुणता एवं दक्षता होनी चाहिए | वाहन चालाक को व्यवहारसिद्ध, विनम्र, स्वस्थ व्यक्तिगत आदतों वाला होना चाहिए | ड्राइवर को हमेशा अपने साथ एक मोबाइल फोन रखना चाहिए। उपर्युक्त शर्त के अनुसार या ड्राइवर की ओर से दुर्व्यवहार/प्रतिकूल होने की स्थिति में केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून फर्म पर उचित जुर्माना लगा सकता है |

- 11. मालिक / फर्म को वाहन के टूटने/ अथवा खराब होने की अवस्था में अतिरिक्त वाहन प्रदान करने की स्थिति में होना चाहिए।
- 12. आपूर्ति किए गए वाहन के टूटने की स्थिति में फर्म द्वारा सभी खर्चों को वहन किया जाएगा। वाहन के ख़राब होने की स्थिति में तत्काल प्रतिस्थापन प्रदान करना होगा।
- 13. यदि कार्यालय को वाहन की आवश्यकता है और वह नियत समय पर नहीं पहुंचता है, तो केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून बाजार से दूसरे वाहन को बुलाने के लिए स्वतंत्र होगा और इस खाते के खर्चों को लंबित बिलों / सिक्योरिटी आदि के मदों में से कटौती की जाएगी। इस प्रकार की हर चूक के लिए रु० 500 / का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जाएगा।
- 14. मालिक / फर्म को अपने स्वयं के टेलीफोन/मोबाइल पर चौबीसों घंटे उपलब्ध होना चाहिए, ताकि आपातकालीन स्थिति में वाहन का प्रबंध किया जा सके। फर्म मालिक को अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर भी देना होगा। फर्म को आवश्यकता पड़ने पर छुट्टियों / रिववार को भी वाहन उपलब्ध कराना होगा।
- 15. मरम्मत / सर्विसिंग, ड्राइवर का वेतन, पेट्रोल / डीजल खर्च, किराए पर कार के संचालन और रखरखाव पर कोई अन्य आकस्मिक खर्च, फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।
- 16. फर्म द्वारा कार का समस्त प्रकार का बीमा किया जाएगा। किसी दुर्घटना या चोरी आदि के मामले में, इससे उत्पन्न होने वाले सभी दावे एजेंसी द्वारा वहन किये जायेंगे और इस प्रकार के किसी भी मामले में केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून उत्तरदायी नहीं होगा।
- 17. आवश्यकता पड़ने पर वाहन व चालक दोनों केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के कार्य के लिए उनको सौंपे जायेंगे। केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारियों, सामग्री आदि को ले जाने के लिए किसी भी तरीके से किराए की टैक्सी का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा और फर्म को इसपर कोई आपत्ति दर्ज करवाने का अधिकार नहीं होगा।
- 18. अनुबंध की समयाविध के दौरान उत्पन्न होने वाले सभी वाद-विवाद का निर्णय देहरादून के न्यायाधिकार क्षेत्र में होगा।
- 19. निविदाकर्ता सिर्फ दिए गए प्रोफार्मा में अपनी बिना शर्त की दरों को नियमानुसार प्रस्तुत कर सकते हैं।
- 20. किसी भी मामले में फर्म को अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 21. फर्म, सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रतिदिन विधिवत ड्यूटी पर्चियां प्राप्त करेगा अथवा दैनिक लाग बुक में संबंधित अधिकारियों से विधिवत हस्ताक्षर करवाएगा।
- 22. महीने के पूरा होने के बाद टैक्सियों/वाहनों के बिल जमा किए जाएंगे। हस्ताक्षरित ड्यूटी पर्चियों के साथ किसी भी महीने वाणिज्यिक वाहनों की आपूर्ति के लिए बिल और अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित लॉग बुक की प्रतियां अगले महीने के पहले सप्ताह में केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को प्रस्तुत की जाएंगी।
- 23. फर्म यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन और चालक सामान्य रूप से बदले न जाएँ। वाहनों और ड्राइवरों के बार-बार परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 24. केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून किसी भी चालान, हानि, क्षति या दुर्घटना अथवा किसी अन्य वाहन या दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

- 26. यदि कोई वाहन किसी भी दिन उपरोक्त नियम और शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो प्रति वाहन रु० 500/- का जुर्माना लगाया जा सकता है। फर्म द्वारा आपूर्ति की गई टैक्सियों का नियमित रूप से नामित अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और अगर किसी भी स्थिति में वाहन द्वारा दी गयी शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाता है अथवा ऐसा कोई विषय उपयोगकर्ताओं या निरीक्षण अधिकारी द्वारा नोटिस में लाया जाता है, तो प्रत्येक चूक पर रु० 500 /- का जुर्माना लगाया जाएगा |
- 27. यदि सफल निविदाकर्ता, निविदा को वापिस लेता है या दरों को अधिसूचित करने पर निविदा स्वीकार करने से इंकार करता है या निविदा के किसी अन्य नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है तो अग्रिम धनराशि (ई.एम.डी.) जब्त कर ली जाएगी।
- 28. केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पास किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना अनुबंध रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 29. वाहन की आपूर्ति का मासिक बिल, घंटे और माइलेज के प्रमाण पत्र के साथ (अधिकारियों द्वारा महीने के दौरान की गयी यात्रा किमी. में) प्रस्तुत किया जाएगा | यह बिल अगले महीने के पहले सप्ताह तक उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून में जमा किया जाएगा।
- 30. बोली लगाने वाले फर्म अपने लेटर हेड में एक शपथ-पत्र, जो यह घोषणा करता हो कि फर्म को किसी भी केंद्रीय सरकारी विभाग / मंत्रालय / PSU / बैंक या राज्य सरकार आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, को बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।
- 31. एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाए गए ड्राइवर के खिलाफ आपराधिक मामला नहीं होना चाहिए। इस संबंध में दस्तावेजी सबूत जैसे कि पुलिस सत्यापन आदि को प्रस्तुत किया जाना हैं।
- 32. आयकर अधिनियम और जी.एस.टी. अधिनियम के तहत टीडीएस की कटौती नियमानुसार की जाएगी।
- 33. टोल शुल्क और पार्किंग शुल्क का भुगतान फर्म द्वारा किया जाएगा जिसकी प्रतिपूर्ति केवीएस द्वारा आवश्यक बिलों और वाउचर के प्रस्तुत करने पर मासिक बिल के साथ की जाएगी |
- 34. कार्यालय में ड्यूटी पर आने वाले वाहनों में पर्याप्त ईंधन भरकर भेजने का दायित्व पूरी तरह से फर्म का होगा |

टिपण्णी :- यदि किसी भी कारणवश इस निविदा पत्र/आमंत्रण पत्र में अंग्रेजी और हिन्दी रूपांतरण में कोई भ्रांति उत्पन्न होती है तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

अनुलग्नक-1 तकनीकी बोली के लिए प्रोफोर्मा

क्र. सं.	विवरण	सूचना / आवश्यक दस्तावेज
1.	फर्म / कंपनी / एजेंसी का नाम	
2.	पूरा पता और टेलीफोन नंबर	
3.	गैराज का स्थान टेलीफोन नं. और पता	
4.	Rs. 5000/ - की EMD और रु. 100/- की निविदा शुल्क- (डीडी नंबर, तिथि और राशि आदि का उल्लेख)	
5.	बैलेंस शीट और चार्टेड अकाउंटेंट के प्रमाण पत्र के रूप में पिछले 03 वर्षों के लिए फर्म का वार्षिक कारोबार (प्रमाण के साथ)।	पिछले 3 वर्षों के लिए बैलेंस शीट और सीए प्रमाणपत्र की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।
6.	फर्म के पास सरकारी / अर्ध सरकारी अनुभाग / स्वायत्त निकायों में वाहन / टैक्सी प्रदान करने के लिए दौरे और यात्रा व्यवसाय में कम से कम 03 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	अनुभव प्रमाण पत्र और पुरस्कार पत्र की प्रतियां संलग्न की जानी हैं।
7.	फर्म के पास संबंधित प्रकार (पेट्रोल / डीजल) के अर्थात मारुती सियाज़, डिजायर, अमेज, हौंडा सिटी, हुंडई वेरना अथवा इसके समकक्ष / इनोवा, एक्सयूवी -500, स्कार्पियो, टाटा हेक्सा या इसके समतुल्य वाहन होने चाहिए तथा वाहन का पंजीकरण 2017 से पहले का नहीं होना चाहिए	आर.सी. की प्रतियों की प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए, जिसके लिए फर्म आवेदन करना चाहती है।
8.	विभागों / मंत्रालयों और अन्य संगठनों के नाम और पता जहां वर्तमान में टैक्सी नियमित / मासिक आधार पर लगे हुए हैं	अनुबंध पत्रों की स्वप्रमाणित विधिवत मुद्रांकित प्रतियों को संलग्न करें।
9.	जीएसटी नं.तथा और पैन नं की प्रतिलिपि (प्रमाण के साथ)	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र और पैन कार्ड की संलग्न प्रतियां।
10.	प्रोप्राइटर का नाम, पता और टेलीफोन नंबर	
11.	स्व प्रमाणपत्र की घोषणा कि फर्म को किसी केंद्रीय मंत्रालय / राज्य सरकार/ विभाग, PSU या बैंकों आदि द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।	बोली लगाने वाले फर्म का उसके लेटर हेड में दिया गया शपथ पत्र संलग्न है।

अनुलग्नक -2 स्थानीय और बाहरी स्थानो के लिए वाहन किराए पर लेने के लिए वित्तीय बोली के लिए प्रोफार्मा

फम क	। नाम आर पता:	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••					
क्र.सं.	वाहन का विवरण	4 घंटे /40 किमी के लिए यात्रा दर (जीएसटी को छोड़कर) रु० में) किमी के लिए गटी को छोड़कर		स्टेशन से बाहर न्यूनतम 225 किमी.यात्रा प्रतिदिन के लिए दर (जीएसटी को छोड़कर) रु० में			
		दर	अतिरिक्त किमी . के लिए दर	अतिरिक्त घंटे के लिए दर	दर	अतिरिक्त किमी . के लिए दर	अतिरिक्त घंटे के लिए दर	दर प्रति किमी	रात्रि आवास प्रतिदिन की दर	225 किमी. से अधिक यात्रा के लिए अतिरिक्त राशि	
1.	स्टाफ वाहन (मारुती सुजुकी सिआज़, डिजायर , अमेज़, हौंडा सिटी , हुंडई वेरना या इसके समकक्ष)										
2.	माध्यम आकार का वाहन (इन्नोवा , एक्सयूवी -500, स्कार्पियो , टाटा हेक्सा या इसके समकक्ष)										

नोट:	जीएसटी प्रतिशत यहाँ पर लिखा जाना चाहिए
मात्र)	मैं / हम उपरोक्त सेवा प्रदान करने और बोली दस्तावेज में निहित नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। बोली सुरक्षा रु0 5000/- (रुपये पांच हजार बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक सलंग्न है।

दिनांक :

(निविदाकर्ता की मुहर के साथ हस्ताक्षर)

अनुलग्नक -3 निविदा स्वीकृति पत्र

· ·											
दिनाक:.											

सेवा

उपायुक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला हाथीबडकला, देहरादून-248001

विषय: केंद्रीय विद्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, सालावाला, हाथीबडकला, देहरादून को किराये के आधार पर टैक्सी सेवाएं प्रदान करने वाली निविदा की शर्तों और नियमों की स्वीकृति संबंधी |

महोदय/ महोदया,

- 1. मैंने / हमने केन्द्रीय विद्यालय संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की वेबसाइट "https:/rodehradun.kvs.gov.in" से उपरोक्त "निविदा / कार्य" के लिए निविदा दस्तावेज, दिए गए विज्ञापन के अनुसार प्राप्त किये हैं |
- 2. मैं / हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि मैंने / हमने निविदा दस्तावेजों के पूरे नियम और शर्तों को पढ़ा है (जिसमें सभी दस्तावेज जैसे अनुलग्नक, शेड्यूल आदि) जो अनुबंध समझौते का हिस्सा हैं और मैं / हम इसमें निहित नियमों/ शर्तों/खण्डों का पालन करेंगे।
- 3. आपके विभाग / संगठन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए **शुधि**पत्र को भी इस स्वीकृति पत्र को जमा करते समय सभी को ध्यान में रखा गया है।
- 5. यदि इस निविदा के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपका विभाग संगठन किसी अन्य अधिकार के पक्षपात के बिना या इस निविदा / बोली को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्रता के पक्ष में हो सकता है, जिसमें पूर्ण रूप से अर्जित बयाना राशि जमा करना शामिल है।

भवदीय.

(निविदाकर्ता की मुहर के साथ हस्ताक्षर)